न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 05/2024
जीसीएमएस नम्बरः–2024/52

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.गोरखचंद पुत्र मिश्रीमल जाति ओसवाल निवासी सांचौर जिला सांचौर (राज.)		1 तहसीलदार (भूमिधारी) सांचौर जिला सांचौर

रेकर्ड दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट नियम 1956

उपस्थितः– **तारीख रजूः–06.05.2024**

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह अचलपुर।
2. अप्रार्थी राज पैरोकार, तहसीलादर सांचौर।

निर्णय **दिनांक 18.06.2024**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बावत् रेकर्ड दुरस्ती पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सांचौर पटवार हल्का सांचौर व तहसील सांचौर का खसरा नम्बर 681 रकवा 2.66 हैक्टयर की भूमि वर्तमान में विभाजन होकर कुल छः खसरे क्रमानुसार खसरा नम्बर 3559/681 रकबा 0.89 हैक्टयर, खसरा नमबर 3663/681 रकवा 0.68 हैक्टयर , खसरा नम्बर 3716/681 रकबा 0.0514 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3717/681 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3718/681 रकबा 0.1968हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 681 रकबा 0.7718 हैक्टयर सृजित हुए एवं राजस्व नक्शे में तरमीमशुदा है। उक्त नवीन सृजित खसरों में से खसरा नम्बर 3559/681 रकबा 0.89 हैक्टयर व खसरा नम्बर 3663/681 रकबा 0.68 हैक्टयर कुल जुमले रकबा 1.57 हैक्टयर भूमि पर आशापूर्णा कॉलानी बसी हुई, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा तरमीम मौका अनुसार नही करके अशुद्व की गई है।, जिससे विभाजित खसरों के खातेदारों में कई बार गलतफहमी उत्पन्न होती है तथा कानूनी विवाद–जटिलाताएं उत्पन्न होती है। अतएवं उक्त वर्णित खसरों की वर्तमान नक्शे में अंकित तरमीम को मौकानुसार संसोधित कर शुद्व करने का आदेश तहसीलदार सांचौर को फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी राज पैरोकार को जरिए नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया।

अप्रार्थी राज पैरोकार तहसीलदार सांचौर ने जवाब मय मौका फर्द प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया गया कि राजस्व नक्शा एवं मौका स्थिति में भिन्नता है चूंकि विभाजन जिस प्रकार मौके पर किया जाता है, उसी प्रकार राजस्व नक्शे में भी दर्ज किया जाना चाहिए, परन्तु अधीनस्थ कर्मचारियों ने मौका अनुसार तरमीम नही की, अतः मौका अनुसार नक्शे में तरमीम दुरस्ती की जाती है तो राज हित प्रभावित नही होता है तथा दूसरे खसरों का रकबा भी परिवर्तन नही होता है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सरकारी पैरोकार के जवाब पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शे की प्रतिया प्रस्तुत की है, जिनसे मौका व रिकॉर्ड की भिन्नत

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकट होती है। वर्तमान में भूमि आवासीय/आबादी भूमि के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा सब डिवीजन प्लॉन प्रस्तुत किया गया, जिससे तरमीम में अन्तर स्पष्ट होता है, अतः हम नक्शे में वर्तमान मौकानुसार तरमीम किया जाना आवश्यक व विधि संगत मानते है।

—:निर्णय:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956 बखूबी साबित एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसील सांचौर के ग्राम सांचौर पटवार हल्का सांचौर के खसरा नम्बर 3559/681 रकबा 0.89 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3663/681 रकबा 0.68 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3716/681 रकबा 0.0514 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3718/681 रकबा 0.1968 हैक्टयर, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.7718 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 3717/681 रकबा 0.07 हैक्टयर की तरमीम मौकानुसार शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर नबंर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

उक्त आज दिनांक 18/6/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner